

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमति उषा देवी पति तीर्थनाथ साव निवासी ग्राम: गाड़ीलौंग थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सराधु, थाना सं: 29 (रैयती) खाता सं. 90, 13 & 228 के अधीन प्लॉट सं. 930, 1673 और 1525 और ग्राम: हेचाबलिया, थाना सं: 30 (रैयती) खाता सं. 02, 39, 92, 109, 44 और 55 के अधीन प्लॉट सं. 407, 417, 297, 29, 28, 41, 294 और 236, कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

ऊपर उल्लेखित खाता सं. 90, प्लॉट न. 930 जिसका कुल रकबा 0.125 एकड़ केवला सं. 243 दिनांक 12.01.1974 के द्वारा कामेश्वर सिंह एवं अन्य के द्वारा खरीदगी की गयी थी जिसका खतियानी रैयत गणेश घासी वल्द दाहू घासी थे/ उस खरीदगी रकबा में से 0.11 एकड़ रामावतर सिंह एवं 04 अन्य (कामेश्वर सिंह के वंशज) ने केवला सं. 284 दिनांक 22.01.2016 के द्वारा श्री तीर्थ नाथ साव पिता खिरोधर साव एवं 02 अन्य को बिक्री किया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: गाड़ीलौंग थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सराधु, थाना सं: 29 (रैयती) खाता सं. 90, 13 & 228 के अधीन प्लॉट सं. 930, 1673 और 1525 और ग्राम: हेचाबलिया, थाना सं: 30 (रैयती) खाता सं. 02, 39, 92, 109, 44 और 55 के अधीन प्लॉट सं. 407, 417, 297, 29, 28, 41, 294 और 236, कुल रकबा - 02.00 एकड़ के तहत श्रीमति उषा देवी पति तीर्थनाथ साव निवासी ग्राम: गाड़ीलौंग थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विश्व कुमार

2018